रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 31 OCT 1977 GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 1977 (आश्विन 16, 1899)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER, 1977 (ASVINA 16, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाए . .	559
भाग I—खंड 2—(रक्षा मत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियो आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1389
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो, विनियमों, आदेशो और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	29
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियो, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि मे सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1113
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयको संबधी प्रवर समितियो की रिपोर्टें .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ-राज्य क्षेत्रो के प्रशासनो को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2895
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3613
भाग II—खंड 4—रक्षा मत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	505
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4553
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	833
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तो द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	145
भाग III—खंड 4—विधिक निकायो द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाए जिनमे अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1671
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियो और गैर-सरकारी सस्थाओ के विज्ञापन तथा नोटिस	167

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . PAGE 559

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1389

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 1113

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . . . . —

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC (ii).—Statutory tutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . PAGE 2895

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . 3613

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . . 505

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 4553

PART III—SECTION 2.—Notifications Notices issued by the Patent Office, Calcutta 833

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 145

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1671

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 1671

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 1977

स० 81-प्रेज/77—इस सचिवालय की दिनांक 18 मार्च, 1973 की अधिसूचना संख्या 16-प्रेज/73 में प्रकाशित पूर्वता सारणी में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन आम जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं —

अनुच्छेद 7 में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ें —

"राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता ।"

नोट 9 के नीचे निम्नलिखित जोड़ें —

"नोट 10 लेफ्टिनेन्ट जनरल जो सेना के कमाण्डर/उप थल सेना अध्यक्ष अथवा जो अन्य सेवाओं में समकक्ष हैं वे उस समय तक जब तक वे ऐसे कमाण्डर रहें, अनुच्छेद 25 में सम्मिलित अन्य सभी लेफ्टिनेन्ट जनरलों अथवा समकक्ष से हमेशा सीनियर होंगे।

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 1977

स० एफ० 3(17)-एन० एस०/77 केन्द्रीय सरकार मानकीकृत अभिकरण प्रणाली के अन्तर्गत नियुक्त किए गए प्राधिकृत एजेंटों के अभिकरण का एतद्द्वारा विस्तार करके उन राष्ट्रीय विकास बाण्डों को भी इसके अन्तर्गत लाती है जिन्हें वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 31 अगस्त 1977 की अधिसूचना सा० का० नि० संख्या 598 (अ) की शर्तों के अनुसार डाकघरों से जारी किया गया है। प्राधिकृत एजेंटों को उनके द्वारा बेचे गए बाण्डों पर 2.5 प्रतिशत की दर से अथवा ऐसी दर पर कमीशन दिया जायेगा जिसे सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी।

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर-सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

कृषि विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1977

संकल्प

स० 48012(1)/76-सी० ए०-1—भारत सरकार ने अपने संकल्प स० 53-1/73-सी० ए०-1 दिनांक 13 सितम्बर 1973 द्वारा गठित भारतीय तम्बाकू विकास परिषद का 1 अक्तूबर 1977 से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक गैर सरकारी व्यक्ति ।
2. उपाध्यक्ष — अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)
3. सदस्य

(क) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभागों का एक-एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा,

1 आन्ध्र प्रदेश
2 बिहार
3 गुजरात
4 कर्नाटक
5 तमिलनाडु
6. पश्चिम बंगाल

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।
(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
(3) भारत सरकार का कृषि आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि ।
(4) अध्यक्ष तम्बाकू बोर्ड
(5) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा उनका प्रतिनिधि ।
(6) परियोजना समन्वयक (तम्बाकू) कृषि संस्थान, आनन्द (गुजरात)
(7) निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्धरी (आंध्र प्रदेश)

(ग) उत्पादकों के प्रतिनिधि —

उत्पादकों के आठ प्रतिनिधि जिन्हें अधिक तम्बाकू पैदा करने वाले निम्नलिखित राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा

(1) आन्ध्र प्रदेश	2 प्रतिनिधि
(2) बिहार	1 प्रतिनिधि
(3) गुजरात	1 प्रतिनिधि
(4) कर्नाटक	1 प्रतिनिधि
(5) महाराष्ट्र	1 प्रतिनिधि
(6) तमिलनाडु	1 प्रतिनिधि
(7) पश्चिम बंगाल	1 प्रतिनिधि

(घ) व्यापार के प्रतिनिधि

व्यापार के तीन प्रतिनिधि जिनके नाम का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय करेगा ।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि

उद्योग के तीन प्रतिनिधि

(च) अन्य — संसद सदस्य

(1) तीन संसद सदस्य, जिन्हें संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किया जाएगा ।

(2) कर्मचारियो के प्रतिनिधि.

(क) खेतो मे काम करने वाले एक

(ख) कारखानो मे काम करने वाले एक

(छ) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किए जायें ।

4 सदस्य सचिव निदेशक

तम्बाकू विकास निदेशालय,
(कृषि विभाग)
कृषि और सिचाई मत्रालय (मद्रास)

5 प्रेक्षक (जो परिषद के सदस्य नही होगे, किन्तु उन्हे परिषद विचार विमर्श मे सहायता के लिये अवश्य आमंत्रित किया जायेगा) ।

(1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(2) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सिचाई मत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(3) वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिचाई मत्रालय

(4) अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिचाई मत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (भारत) लिमिटेड ।

(6) सयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल), कृषि और सिचाई मत्रालय (कृषि विभाग) ।

2 यह परिषद एक परामर्शदायी परिषद होगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रो मे तम्बाकू के विकास कार्य-क्रमो पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और तम्बाकू के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए सुझाव देना,

(2) तम्बाकू के उत्पादन व विपणन तथा तम्बाकू उत्पादको को लाभप्रद मूल्य दिलाने के सम्बन्ध मे समस्याओ पर विचार करना और इस सम्बन्ध मे सरकार को सलाह देना ,

(3) देश और विदेश की मण्डियो मे तम्बाकू की मांग पर विचार करना और उचित विकास कार्यक्रमो द्वारा इस मांग की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के बारे मे सरकार को सलाह देना ,

(4) तम्बाकू के उत्पादन के सम्बन्ध मे लघु तथा सीमान्त कृषको की विशेष आवश्यकताओ पर विचार करना तथा उनकी पूर्ति के लिये उपयुक्त उपाय सुझाना ,

(5) तम्बाकू के अनुसधान तथा विकास कार्यक्रमो के बीच समन्वय स्थापित करने मे सहायता करना और तम्बाकू की क्वालिटी तथा उसकी उत्पादकता मे सुधार की आवश्यकताओ के बारे मे सुझाव देना,

(6) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलो पर सरकार को सलाह देना ।

3 आवश्यकतानुसार परिषद विशिष्ट मुद्दो पर गौर करने के लिए तकनीकी समितियां, स्थायी समितियां एव तदर्थ समितियां गठित कर सकेगी तथा विशिष्ट प्रयोजनो के लिए कृषि विश्वविद्यालयो और अन्य विशेष हितो के प्रतिनिधियो को सदस्य सहयोजित कर सकेगी ।

4 परिषद की बैठक, समय-समय पर तम्बाकू पैदा करने वाले क्षेत्रो तथा व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रो मे होगी और परिषद अपनी सिफारिशे भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

5 परिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक कि उसे सरकार के किसी सकल्प द्वारा समाप्त न कर दिया जाए । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यो का कार्य-काल परिषद मे उनके नामित होने की तारीख से तीन वर्ष होगा। परन्तु भारत सरकार विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटा या बढ़ा सकेगी ।

6 परिषद के सदस्य नामित होने वाले समय सदस्य न रहने पर परिषद के सदस्य भी नही रह सकेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारो, सघ राज्य क्षेत्रो तथा भारत सरकार के मत्रालयों, योजना आयोग, मत्रिमडल सचिवालय, प्रधान मत्री कार्यालय तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयो को भेज दी जाए ।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र मे प्रकाशित कर दिया जाए ।

सकल्प

स० 48012 (8) /76-सी० ए०-1—भारत सरकार ने अपने अपने सकल्प स० 10-1/73-सी० ए०-1 दिनांक 25 सितम्बर, 1973 द्वारा गठित भारतीय सुपारी विकास परिषद का 1 अक्तूबर, 1977 से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित परिषद का नाम भारतीय सुपारी और कोको विकास परिषद होगा । उसमे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे

1 अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति ।

2 उपाध्यक्ष — अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिचाई मत्रालय (कृषि विभाग)

3 सदस्य

(क) राज्य सरकारो के प्रतिनिधि.

निम्नलिखित राज्य सरकारो के कृषि विभागों का एक-एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारो द्वारा नामित किया जाएगा

1 असम
2 कर्नाटक
3 केरल
4 महाराष्ट्र
5 मेघालय
6 तमिलनाडु
7 पश्चिम बगाल

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(3) भारत सरकार का कृषि आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(4) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसधान परिषद अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(5) परियोजना समन्वयक (नारियल तथा सुपारी) केन्द्रीय रोपण फसल अनुसधान सस्थान पोस्ट कुदल कैसारा गोड (केरल)

(ग) उत्पादको के प्रतिनिधि

(क) सुपारी उत्पादको का एक प्रतिनिधि जिसे निम्नलिखित राज्यो से सम्बधित राज्य सरकारो द्वारा नामित किया जाएगा

(1) असम
(2) कर्नाटक
(3) केरल
(4) महाराष्ट्र

(5) मेघालय

(6) तमिलनाडु

(7) पश्चिम बंगाल

(ख) कोको उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे निम्नलिखित राज्यों में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाएगा

(1) केरल

(2) कर्नाटक

(3) तमिलनाडु

(घ) व्यापार के प्रतिनिधि

सुपारी और कोको व्यापार का एक-एक प्रतिनिधि जिसके नाम का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय करेगा ।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि

(क) सुपारी उद्योग का एक प्रतिनिधि

(ख) कोको उद्योग का एक प्रतिनिधि ।

(च) अन्य संसद सदस्य (1) तीन संसद सदस्य, जिन्हें संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किया जाएगा ।

(2) कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(क) खेतों में काम करने वाले एक

(ख) कारखानों में काम करने वाले एक

(छ) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किए जाये ।

4. सदस्य सचिव निदेशक

सुपारी और मसाला विकास निदेशालय,
कोझीकोड

कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)

5 प्रेक्षक (जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु उन्हें परिषद के विचार विमर्श में सहायता के लिये अवश्य आमन्त्रित किया जायेगा)

(1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(2) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(3) वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ।

(4) अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(5) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर

(6) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ।

(7) संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल), कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

2. यह परिषद एक परामर्शदायी परिषद होगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे

(1) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में सुपारी और कोको के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और सुपारी और कोको के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुझाव देना,

(2) सुपारी और कोको के उत्पादन व विपणन तथा सुपारी और कोको उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में समस्याओं पर विचार करना और इस सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना ,

(3) देश और विदेश की मंडियों में सुपारी और कोको की मांग पर विचार करना और उचित विकास कार्यक्रमों द्वारा इस मांग की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के बारे में सरकार को सलाह देना ,

(4) सुपारी और कोको के उत्पादन के सम्बन्ध में लघु तथा सीमांत कृषकों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उनकी पूर्ति के लिये उपयुक्त उपाय सुझाना ,

(5) सुपारी और कोको के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करना और सुपारी तथा कोको की क्वालिटी तथा उसकी उत्पादकता में सुधार की आवश्यकताओं के बारे में सुझाव देना ,

(6) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देना ।

3. आवश्यकतानुसार भारतीय सुपारी तथा कोको परिषद विशिष्ट मुद्दों पर गौर करने के लिए तकनीकी समितियां, स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां गठित कर सकेगी तथा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कृषि विश्व-विद्यालयों और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सदस्य सहयोजित कर सकेगी ।

4 परिषद की बैठक, समय-समय पर सुपारी और कोको पैदा करने वाले क्षेत्रों तथा/अथवा व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और परिषद अपनी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

5 परिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक कि उसे सरकार के किसी संकल्प द्वारा समाप्त न कर दिया जाए । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य-काल परिषद में उनके नामित होने की तारीख से तीन वर्ष होगा परन्तु भारत सरकार विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटा या बढ़ा सकेगी ।

6. परिषद के सदस्य नामित होने वाले संसद सदस्य संसद सदस्य न होने पर परिषद के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

ए० दास, अपर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1977

संकल्प

सं० एस०-61011/3/77/ डी० आई० ए०—व्यापक औद्योगिक संबंध कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन गठन विषयक समिति में जैसी कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, दिनांक 18 जुलाई, 1977 में प्रकाशित संकल्प संख्या एस०-61011/3/77-डी० आई० ए०, दिनांक 1 जुलाई 1977 में स्थापित की गई है, सदस्यों के नीचे क्रमांक संख्या 5 में उल्लिखित श्री पी० डी० कामथेकर के स्थान पर श्री बी० एस० शेल्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र, उक्त समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा सभी संबंधितों को भेजी जाय ।

देवव्रत बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th September 1977

No. 81-Press./77.—The following amendments approved by the President to the Table of Precedence published in this Secretariat Notification No 16-Pres./73, dated the 18th March, 1973 are notified for general information :

In Article 7 add the following—

"Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and the Lok Sabha."

Below Note 9 add the following—

"Note 10 · Lieutenant Generals who are Army Commanders/VCOAS or equivalent in other Services, would always rank senior to all other Lieutenant Generals or equivalent included in Article 25 so long as they continue to be such Commanders."

K. C MADAPPA
Secretary to the President.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th September 1977

No F 3(17)-NS/77.—The Central Government hereby extends the agency of Authorised Agents appointed under the Standardised Agency System to National Development Bonds issued by post offices in terms of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification GSR No 598(E) dated the 31st August 1977 The Authorised Agents will be paid commission at the rate of 2.5 per cent, or at a such rate as may be prescribed by the Government from time to time, on the sale of Bonds made through them

A. V SRINIVASAN, Under Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 19th September 1977

RESOLUTION

No 48012(1)/76-CAI.—The Government of India have decided to reconstitute, with effect from 1st October, 1977, the Indian Tobacco Development Council set up *vide* their Resolution No. 53-1/73-CAI, dated the 13th September, 1973. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I CHAIRMAN

A Non-Official to be nominated by the Government of India

II VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).

III. MEMBERS

(A) *Representatives of State Governments*—One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments .—

(i) Andhra Pradesh
(ii) Bihar
(iii) Gujarat
(iv) Karnataka
(v) Tamil Nadu
(vi) West Bengal

(B) *Representatives of Central Government*—(i) One representative of the Planning Commission
(ii) One representative of the Ministry of Commerce
(iii) Agriculture Commissioner to the Government of India or his nominee
(iv) Chairman, Tobacco Board
(v) Director General, I.C.A.R., or his nominee
(vi) Project Coordinator (Tobacco), Institute of Agriculture, Anand (Gujarat).
(vii) Director, Central Tobacco Research Institute, Rajamundhry (Andhra Pradesh)

(C) *Growers' Representatives*—Eight Growers' Representatives to be nominated by the respective State Governments from the major tobacco growing States as follows :—

(i) Andhra Pradesh—Two representatives
(ii) Bihar—One representative.
(iii) Gujarat—One representative.
(iv) Karnataka—One representative.
(v) Maharashtra—One representative.
(vi) Tamil Nadu—One representative.
(vii) West Bengal—One representative.

(D) *Representatives of Trade*—Three representatives of trade to be recommended by the Ministry of Commerce

(E) *Representatives of Industry*—Three representatives of Industry

(F) *Others*—Members of Parliament ·

(i) Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(ii) Representation to Workers :

(a) engaged in farms—One
(b) engaged in factories—One

(G) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India

IV MEMBER SECRETARY

The Director, Directorate of Tobacco Development, (Department of Agriculture), Ministry of Agriculture & Irrigation, MADRAS

V OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative
2. Agricultural Marketing Adviser—Govt. of India, Ministry of Agriculture and Irrigation or his representative.
3. Financial Adviser Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation
4. Economics and Statistical Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation or his representative
5. Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.
6. Joint Commissioner (Commercial Crops), Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions ·—

(1) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Tabacco, review progress/thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of tobacco.

(2) To consider problems relating to the production and marketing of tobacco and remunerative prices to tobacco growers and advise Government in these matters.

(3) To consider demands for tobacco in the domestic as well as export market and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes

(4) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of tobacco production and suggest suitable measures for meeting the same,

(5) To facilitate coordination between research and development programmes relating to tobacco and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of tobacco; and

(6) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3 The council will have powers to set up standing committee, Technical Committee and *ad hoc* Committee to look

into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which tobacco is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished to a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6 Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

2 ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No 48012(8)/76-CA I—The Government of India have decided to reconstitute with effect from 1st October, 1977 the Indian Arecanut Development Council set up *vide* their Resolution No. 10-1/73-CA.I, dated the 25th September, 1973. The reconstituted Council will be known as Indian Arecanut & Cocoa Development Council and will be composed as follows :—

I CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).

III. MEMBERS

(A) *Representatives of State Governments*—One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Assam.
(ii) Karnataka
(iii) Kerala
(iv) Maharashtra
(v) Meghalaya.
(vi) Tamil Nadu,
(vii) West Bengal.

(B) *Representatives of Central Government*—(i) One representative of the Planning Commission

(ii) One representative of the Ministry of Commerce.

(iii) Agricultural Commissioner to the Government of India or his nominee

(iv) Director General, I.C.A.R., New Delhi or his nominee

(v) Project Coordinator (Coconut and Arecanut), Central Plantation Crops Research Institute, Post Kudlu, Kasaragod (Kerala)

(C) *Growers' Representatives*—(a) One Arecanut Growers' representative each to be nominated by the respective State Government from the following States :—

(i) Assam.
(ii) Karnataka
(iii) Kerala
(iv) Maharashtra.
(v) Meghalaya
(vi) Tamil Nadu
(vii) West Bengal.

(b) One Cocoa Growers' representative each to be nominated by the respective State Government from the following States :—

(i) Kerala
(ii) Karnataka.
(iii) Tamil Nadu

(D) *Representatives of Trade*—One representative each of arecanut and cocoa trade to be recommended by the Ministry of Commerce

(E) *Representatives of Industry*—(a) One representative of Arecanut Industry.

(b) One representative of Cocoa Industry.

(F) *Others*—MEMBERS OF PARLIAMENT :—

(i) Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(ii) Representation to workers :—

(a) Engaged in Farms—One
(b) Engaged in factories—One

(G) Such additional persons as may from time to time, be nominated by the Government of India.

IV MEMBER SECRETARY

The Director, Directorate of Arecanut & Spices Dev., Kozhikode

V OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in the deliberations).

(1) Chairman, State Trading Corporation or his representative.

(2) Agricultural Marketing Adviser—Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation, or his representative,

(3) Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation

(4) Economics and Statistical Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation, or his representative;

(5) Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.

(6) National Cooperative Development Corporation, New Delhi

(7) Joint Commissioner (Commercial Crops) Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(1) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Arecanut & Cocoa, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Arecanut & Cocoa;

(2) To consider problems relating to the production and marketing of Arecanut and Cocoa and remunerative prices to Arecanut and Cocoa growers and advise Government in these matters;

(3) To consider demands for arecanut and cocoa in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;

(4) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of a arecanut and cocoa production and suggest suitable measures for meeting the same;

(5) To facilitate coordination between research and development programme relating to arecanut and cocoa and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of arecanut and cocoa;

(6) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3 The Indian Arecanut & Cocoa Development Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and *Ad-hoc* Committee to look into specific issues and to co-opt members, as representative of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes

4 The Council will meet periodically in areas in which Arecanut and/or Cocoa is grown or at important centres of trade and industry related to these crops and will make recommendations to the Government of India.

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council, unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India

6 Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the council as soon as they cease to be members of the Parliament

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution to communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariates

2 ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

A DAS, Addl Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th August 1977

RESOLUTION

No S-61011/3/77/DIA.—In the Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and the Composition of the Indian Labour Conference, as set up in Government's Resolution No. S-61011/3/77-DIA, dated the 1st July, 1977, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th July, 1977, in the place of Shri P. D. Kasbekar, appearing as S No 5 under Members, Shri B. L Shelke, Labour Commissioner, Maharashtra, has been appointed as a Member of that Committee.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned

D BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977